न्यायालय नायबतहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
शिमला मीणा (आरटीएस)
दिनांक 30.7.2020

मि.न.32 / 2020

सरकार बनाम श्रीराम वगै0

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भालोजी ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम दादूका तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1164 / 0.76 है0 किस्म गै0मु0 नाला मेंसे 0.60 है0पर श्रीराम पुत्र बबलू, सुरज्ञानी, रोहिताश,बलबीर, सुभाष पुत्रान बोदूराम जाति बलाई निवासी दादुका ने बाजरा की फसल कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान उपस्थित आये । गैंरसायल को वास्ते जवाब अवसर दिये जाने पर भी कोई जवाब पेश नहीं किया ना ही कोई ऐसा दस्तावेज पेश किया जिसके आधार पर गैर सायल को अनुतोष दिया जा सकें। भू–अभिलेख निरीक्षक व राजस्व टीम से रिपोर्ट ली गई तथा पटवारी हल्का से पुनः जांच एवं पत्रावली में सग्लन दस्तावेजो पर गौर किया तो विवेचन पर पाया कि गैर. सायलान द्धारा उक्तआराजियात अतिक्रमण सिद्ध होता हैं। , अतः अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः गैर सायलान श्रीराम पुत्र बबलू ,सुरज्ञानी, रोहिताश, बलबीर, सुभाष पुत्र बोदूराम जाति बलाई निवासी दादूका तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम दादूका तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1164 / 0.76है0 किस्म गै0मु0 नाला मे से 0.60है0 पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजीयात पर बोई गई बाजरे की फसल को निलाम किया जाकर भौतिक रूप से बैदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी .1.20रू. का पचास गुणा 60 रू अर्थ दण्ड

नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते बेदखली,फसल निलामी के आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 30.7.2020 को सरे इजलास सुनाया गया

नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

वर्ष 2020-21 के रा० ले०
पृष्ठ संख्या 14 पर 60 रुपये कायम किये गये ।

09/08/20
राजस्व लेखाकार
कोटपूतली